तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-1-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. पर एक पक्षीय बहस अंतिम सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया और अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली 28-1-26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28-1-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका P.O. SDO मीटिंग में पधारे हैं वास्ते आदेश पत्रावली 29-1-26 को पेश हो।	
29-1-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया पत्रावली कैफियत शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

52 / प्रा0पत्र / 2023
दायरा दिनांक 21.07.2023

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. भरत आ0 अर्जुन जाति मीणा निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. बनासी बाई पुत्री स्व0 श्री अर्जुन पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।
3. कौशल्या बाई पुत्री स्व0 अर्जुन पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. रैनाबाई पुत्री स्व0 अर्जुन पत्नि नन्दबिहारी जाति मीना निवासी उम्मेदपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. किशकिन्धा पत्नि मांगीलाल जाति मीना निवासी चहींचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. हरिओम आ0 अर्जुन जाति मीना निवासी लबान स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट</u>

अधिवक्ताः– श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट

दिनांकः– 29.01.2026

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 2.44 हैक्टर कुल किता 1 योग रकबा 2.44 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सर्युक्त खाते के रूप में हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे है। प्रार्थी कम 1 ने अप्रार्थी कम 2 से उसका हिस्सा 1/5 में से हिस्सा 1/10 कृषि भूमि कय की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 बिना विधिवत बटवारा कराये प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार कृषि भूमि पर 15X600 वर्गफीट पर रास्ता बनाये जाने हेतु मिट्टी डालना आरम्भ कर दिया है एव कय की गई भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भूखण्ड काटकर बेचान किये जा रहे है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को बटवारा कराने हेतु कहा गया तो अप्रार्थीगण द्वारा बटवारा कराने से इन्कार कर दिया गया तथा मिटट्ी डालने हेतु मना किया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर अमादा है। और अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के सयुक्त खाते में दर्ज होने से बिना विधिवत बटवारा कराये किसी निश्चित भू–भाग पर अकृषि या अन्य गतिविधिया नही की जा सकती अतः विधिवत बटवारा होने तक अप्रार्थीगण को मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीण जर्ये रजिस्टर्ड तामील पश्चात भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के अभाव में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य द्वारा संयुक्त खाते की कृषि भूमि का विधिवत बटवारा कराये बिना ही रास्ता बनाए जाने हेतु मिटट्ी डाली जा रही है तथा कृषि भूमि को भूखण्डो में विभाजित कर बेचे जा रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षतिकारित होगी सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है ओर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को विधिवत बटवारा होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 2.44 हैक्टर ग्राम लबान मुताबिक जमाबन्दी सयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होने व अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिवत बंटवारा कराये कृषि भूमि का अन्य अकृषि उपयोग लिये जाने से प्रार्थीगण को क्षति कारित होने की संम्भावन को मध्यनजर रखते हुए इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः दौराने वाद रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विवादित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 2.44 हैक्टर वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का ताफैसला मूल वाद (विधिवत बटवारा) मौके एंव रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाए रखे एंव किसी प्रकार का अन्तरण एंव परिवर्तन मौके पर नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)